28.9.22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पत्र एक पक्षीय बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली वास्ते नि आज प्रस्तुत हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी मोहनलाल कचरा प्रजापत निवासी रामटिया ने RTA की धारा 88, 209 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया प्रार्थी ने अवग कराया कि उसके आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा रामटि की खाता संख्या 802 खसरा नं० 2554 रकबा 0.66 हैक्टेयर है जिस पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग करता आ रहा। वादी करीब 35-40 वर्षों से काबि उसका उपयोग, उपभोग कर रहा है। वर्ष 2015 से प्रतिवा द्वारा वादी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के अधीन नोटिस जारी कर बेदखल किये जा का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय तकरीबन 35-40 वर्षों पुराना प्रतिकूल कब्जा हो उसका अ परिपक्व हो चुका है। जिससे वादी खसरा नं० 2554 के खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है। जबकि प्रतिवादी

उसको बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। विवाद्यक का निर्धारण कर साक्ष्य प्रस्तुत हुई। पत्रावली बहस पर नियत होने पर भूमि धारी विरोधार सरकार बार-बार अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली एक पक्षीय बहस में रखी गई। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि मौजा टामटिया का आराजी नं० 2554 रकबा 0.6133 है० वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उसपर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है एवं प्रतिवादी द्वारा राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली बाबत नोटिस इत्यादि जारी कर कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा चाही गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उन भूमियों का उल्लेख है जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे उनके बिन्दु संख्या (1) पर चारागाह भूमि भी सम्मिलित है। चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने सम्बन्धी प्रावधान निषिद्ध है अतः प्रार्थी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ता०
28/9/22